ज्ञापांक–**6802**/तक0 / 2024

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–05.10.2024

सेवा में,

JAFAR SHEKH,
ST XAVIER'S PUBLIC SCHOOL,
Vill-Mohabatpur, Ranga, Sahebganj

बिषय :– **मौजा–CHOTA DURGAPUR, प्लाट नं0–45 49 58 63 64 67, खाता नं0–04 30 36 07 46 33, वार्ड नं0–00, थाना–RANGA, जिला–साहेबगंज में निर्मित स्कूल भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित निर्मित संबंधित स्कूल भवन के स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, साहेबगंज के माध्यम से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक–378 दिनांक–27.08.2024 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त स्कूल भवन हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते है :–

1. निर्मित स्कूल भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर क्षमता वाले एक अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ–आउट कनेक्शन देने की व्यवस्था की जाय।
3. अग्निशमन कार्य हेतु प्रत्येक भवन में कम से कम दस–दस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ भवन के दोनों स्टेयरकेश में वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम की व्यवस्था की जाय, जिसके प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट एवं 30 मीटर लम्बा होज रील होज संस्थापित कराया जाय।
5. स्कूल भवन के प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट के पास एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें एक लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखा जाय।
6. अग्निशमन कार्य हेतु निर्मित किये जानेवाले पम्प हाउस में 1620 Lpm क्षमता का फायर पम्प संस्थापित कराया जाय।
7. 450ली0/मि0 क्षमता का टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
8. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
9. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
10. सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
11. स्कूल भवन में प्रत्येक स्टेयर केश के प्रत्येक तल पर एक–एक ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रोनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसके हूटर की आवाज भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
12. स्कूल परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।

i. DCP Fire Extinguisher 06 kg	-	04 Nos.
ii. Fire Bucket	-	04 Nos.
iii. Water CO_2 Fire Extinguisher 09 Ltr.	-	04 Nos.

13. स्कूल भवन में Travel Distance मानक के अनुरूप होना चाहिए।
14. नर्सरी से कक्षा तीन तक के छात्रो को सतही तल पर बैठाये जाने की व्यवस्था की जाय।
15. सभी क्लास रूम में दो दरवाजे होना चाहिए जो बाहर की ओर खुले।
16. ऑडिटोरियम के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने चाहिए।
17. विद्युत मेन कंट्रोल पैनल के पास 4.5 के0जी0 क्षमता का चार अदद CO_2 Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
18. स्कूल भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जाय।
19. स्कूल भवन में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।

20. स्कूल भवन के प्रत्येक कम्प्यूटर रूम, ऑडिटोरियम अथवा लैब एवं लाईब्रेरी हो तो उसमें 4.5 के0जी0 क्षमता का दो अदद Co_2 Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
21. ऑडिटोरियम में 4.5 के0जी0 क्षमता का दो अदद Co_2 Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
22. स्कूल भवन के किसी भी निकास द्वार को किसी भी परिस्थिति में कभी भी बाधित न किया जाय।
23. स्कूल भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender के Movement में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
24. स्कूल भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाए।
25. स्कूल भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले चेक लिस्ट पूरी तरह भरते हुये एक शपथ पत्र समर्पित करेगें कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
26. अग्नि–सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जायेंगे।
27. संबंधित स्कूल भवन में कभी भी किसी भी प्रकार का विवादित मामला होने पर संबंधित स्कूल भवन को दिये गये अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह को जॉचोपरान्त कभी भी रद्द किया जा सकता है।
28. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

JITENDRA TIWARY

Digitally signed by JITENDRA TIWARY
DN: c=IN, o=PERSONAL, title=9053, 2.5.4.20=894e76e7a55211af8cedc5c01fc9008f3f4b20579f87b90a96d6b7a5458ea0b0, postalCode=834004, st=JHARKHAND, serialNumber=c2ef3f40dd8c08af2be3efeb12fbb7360caeb368d01281729c3d8961d7e6d816, cn=JITENDRA TIWARY
Date: 2024.10.05 20:06:16 +05'30'

(जितेन्द्र तिवारी)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।